राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–49/2022
सोनी कुमारी बनाम् जीवनलता देवी।

यह वाद श्रीमती सोनी कुमारी, पति–श्री मनोज कुमार, पता–ग्राम–किशनपुर, थाना–सौर बाजार, जिला–**सहरसा** द्वारा श्रीमती जीवनलता देवी, पति–स्व0 सीताराम राम, पता–ग्राम–सूरी मायाकोरियानी, वार्ड संख्या–01, पोस्ट–किशनपुर, थाना–सौर बाजार, जिला–**सहरसा** के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड–पतरघट, जिला–सहरसा के मुखिया के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती सोनी कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती जीवनलता देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता चन्द्रमोहन झा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री नीरज कुमार सिन्हा, मो0 अली अहमद अंसारी, एवं श्री संजीव कुमार (सभी), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादिनी श्रीमती जीवनलता देवी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर मुखिया पद पर चुनाव जीत लिया गया है। उनके द्वारा सर्वप्रथम अंचलाधिकारी, चौसा द्वारा उनके प्रमाण–पत्र को रद्द करने की अनुशंसा संबंधी आदेश फलक का अवलोकन कराया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि श्रीमती जीवनलता देवी को निर्गत जाति प्रमाण–पत्र शपथ–पत्र के आधार पर निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक–198, दिनांक–15.01.2022 के आलोक में अंचलाधिकारी, चौसा द्वारा श्रीमती जीवनलता देवी के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने का आदेश आयोग के समक्ष उपस्थापित किया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–05.07.2022 को आयोग के द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद लिखित जवाब दायर नहीं किया गया तथा उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उनके मुवक्किल का जाति प्रमाण–पत्र उनकों उचित अवसर प्रदान किए बिना ही रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि जाति

प्रमाण–पत्र रद्द करने हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) ही एक मात्र प्राधिकार है। अतएव अंचलाधिकारी, चौसा, द्वारा इसे रद्द किया जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है।

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच–प्रतिवेदन एवं वाद के साथ संलग्न अंचलाधिकारी, चौसा (मधेपुरा) के अभिलेख संख्या–01/2021–22 का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमति जीवनलता देवी के जाति प्रमाण–पत्र को अंचलाधिकारी, चौसा द्वारा रद्द किया गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 की कंडिका–04 (ग) के आलोक में जाति प्रमाण–पत्र रद्द करने की शक्ति सामान्य समिति राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) में अन्तर्निहित है। पुनः C.W.J.C. No. 19084/2021, बैधनाथ सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.06.2022 को पारित न्याय निर्णय की कंडिका–11, 12 एवं 13 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) ही जाति प्रमाण–पत्र निरस्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार है। उक्त कंडिकाएं निम्नवत् है:–

"11. In the State of Bihar, the caste certificate is issued by Revenue Authorities. After the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Kumari Madhuri Patil (Supra), it has been settled that caste certificate duly issued by the Revenue Authorities who have been delegated with such power cannot be cancelled by the authority who has issued the caste certificate.
12. In the above view of the matter, it would be evident that the Circle Officer was not the competent authority to cancel the caste certificate of the petitioner rather it was the Scrutiny Committee constituted by the State Government which was empowered to do so. In these circumstances, the impugned order dated 16.10.2021 passed by the Circle Office, Dighwara, Saran as contained in Annexure-5 to the present application is hereby set aside.
13. It would be open to the Circle Officer or any other authority of the State of approach the Scrutiny Committee formed pursuant to the direction issued by the Hon'ble Supreme Court in Kumari Madhuri Patil (Supra) for verification of the caste certificate of the petitioner and cancellation thereof. In case, such a dispute is raised before the Scrutiny Committee, it shall be required to examine the matter and decide the same in accordance with law as early as possible and preferably, within a period of three months."

उक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में श्रीमति जीवनलता देवी के जाति प्रमाण–पत्र को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) द्वारा रद्द किये जाने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच–प्रतिवेदन तथा वाद की प्रति संलग्न करते हुए, इसे राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) को संदर्भित किया गया।

4. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमिटि (निदेशालय) के ज्ञापांक–14590, दिनांक–12.09.2024 द्वारा आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसका प्रभावकारी अंश कंडिका–09 में अंकित है, जो निम्नवत् है:–

"9 उक्त के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों तथा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों को दृष्टिपथ में रखते हुये सम्यक विचारोपरांत मतैक्य के आधार पर श्रीमती जीवनलता देवी, पिता–श्री सुखो राम, पति–स्व0 सीताराम राम, ग्राम–किशनपुर, अंचल–चौसा, थाना–सौरबाजार, जिला–सहरसा द्वारा "चन्द्रवंशी(कहार, कमकर)" जाति के जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावे को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।"

5. आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराते हुये, वाद के अंतिम निष्पादन हेतु क्रमशः दिनांक–21.10. 2024 एवं दिनांक–11.11.2024 को सुनवाई की गयी। वादी की ओर से सुनवाई में दोनों तिथियों को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे, परन्तु अंतिम सुनवाई के तिथि को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रमोहन झा बिना किसी सूचना या अनुरोध के अनुपस्थित रहे।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन उनके पक्ष में नहीं रहने के कारण उनके द्वारा जान–बुझकर समय व्यतीत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नैसर्गिक–न्याय के तहत प्रतिवादी को दो वर्ष से अधिक का समय प्राप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में वाद के अंतिम निष्पादन हेतु दिनांक–11.11.2024 आदेश को सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा का प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती जीवनलता देवी (वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड–पतरघट,

जिला-सहरसा) द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची-02 का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची-01 हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा-135 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड-पतरघट, जिला-सहरसा के मुखिया के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार मतैक्य के आधार पर श्रीमती जीवनलता देवी, पिता-श्री सुखो राम, पति-स्व0 सीताराम राम, ग्राम-किशनपुर, अंचल-चौसा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा द्वारा "चन्द्रवंशी(कहार, कमकर)" जाति के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावे को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है।

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (I.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक-17.09.2019 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है।

चूँकि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) द्वारा प्रतिवादी को बिहार राज्य का मूल निवासी नहीं पाया गया है। अतः उनके द्वारा उनके जाति का विनिश्चय किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया तथा बिहार राज्य का मूल निवासी नहीं होने के कारण उनके आरक्षण के दावें को निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है।

समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा C.W.J.C. No. 869/2017(Bindu Devi Vs. State of Bihar & ors.) एवं इसके साथ संलग्न C.W.J.C. No. 10775/2022(Kavita Devi Vs. State of Bihar & ors.) तथा C.W.J.C. No. 9393/2023(Manju Devi Vs. State of Bihar & ors.) मामले में दूसरे राज्य के मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं करने के निर्णय को Uphold किया गया है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती जीवनलता देवी की जाति "चन्द्रवंशी (कहार, कमकर)" जाति के आधार पर आरक्षण के दावें को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि श्रीमती जीवनलता देवी बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है। अतः इन्हें सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों/संकल्पों/पत्रों के प्रावधानों के विपरीत निर्गत अवैध जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड-पतरघट, जिला-सहरसा के मुखिया के लिए निर्वाचन में भाग लिया, जबकि उक्त पद पिछड़े वर्गों की सूची-01 में शामिल बिहार राज्य के

मूल निवासियों हेतु आरक्षित था। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के परन्तुक के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (मुखिया) पर निर्वाचन नियमाकूल नहीं है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती श्रीमती जीवनलता देवी को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड–पतरघट, जिला–सहरसा के मुखिया के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखण्ड–पतरघट, जिला–सहरसा के मुखिया का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, चौसा, मधेपुरा एवं राजस्व कर्मचारी श्रीमती जीवनलता देवी को अवैध/गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दोषी हैं। साथ ही साथ श्रीमती जीवनलता देवी द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। अतः पदेन अध्यक्ष राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय)–सह–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध तथा दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध संकल्प के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करना अपेक्षित है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–49/2022 पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–अध्यक्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु गठित निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–49/2022 4365 पटना, दिनांक–17.12.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **सहरसा**/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17/12/24
विशेष कार्य पदाधिकारी